224

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2395-दो/15 विरूध्द आदेश दिनांक 3/7/2015 पारित व्दारा राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर सोनोरी तहसील त्यौथर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 11/अ-12/14-15.

1 श्यामसुन्दर
2 श्यामाकान्त
3 राजेश
4 बृजेश
सभी के पिता रामसजीवन ब्रा0
5 बाबूलाल तनय रामखेलावन
सभी निवासी ग्राम पुर्वा तहसील त्यौथर जिला रीवा म0 प्र0

- आवेदकगण

- विरूध्द -

श्रीमती राजकुमारी पत्नी इन्द्रनाथ ब्रा0
निवासी ग्राम मनीराम तहसील त्यौथर जिला रीवा - अनावेदक

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 श्रीवास्त, अभिभाषक, अनावेदक

निग0प्र0क्र0 2395-दो/15

आ दे श

(आज दिनांक 31/3/2016 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 2395-दो/15 रा.मं. में म0 प्र0 भू'-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर सोनोरी तहसील त्यौथर जिला रीवा के प्र क्र 11/अ-12/14-15 में पारित आदेश दि 3-7-2015 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

[२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

आक्षेपित आदेश से अनावेदक की भूमि आ नं ४० ग्राम नरोल का सीमांकन स्वीकृत किया गया था जिसमे आवेदकगण द्वारा उसकी भूमि के अंश भागों पर अवैध कब्जा किया जाना पाया गया था. आवेदकों ने इस सीमांकन में उनके अवैध कब्ज़े पाए जाने को गलत बताते हुए यह निगरानी रा मं में दायर की है.

[३] मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने अभिलेख का परिशीलन किया.

आवेदकगण का तर्क है कि उन्होंने आ नं ४० की सीमावर्ती आ नं ३८ क्रय की है, किन्तु उन्हें बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिए उनका बेजा कब्जा बता दिया गया है जो उचित नहीं है.

अनावेदक का तर्क है कि आवेदकपक्ष से श्यामकांत के सूचनापत्र और पंचनामे में हस्ताक्षर हैं, आवेदकों ने उनके सरहद्दी आराजियों के स्वामी होने के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, अतः उनका

तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, यदि वे चाहें तो अपनी भूमि का अलग से सीमांकन करा सकते हैं.

[४] तर्कों और अभिलेख के प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि सीमांकन में एक बेजा कब्जा रामसजीवन के पुत्रों का और दूसरा बाबूलाल का पाया गया है. ये दोनों बेजा कब्जे अलग अलग हैं. रामसजीवन के पुत्रों में श्यामकांत को नोटिस है और वह मौके पर रहे हैं, किन्तु शेष किसी भी आवेदक को, विशेषकर बाबूलाल को जिसके द्वारा बेजा कब्जा किया जाना पृथक से बताया गया है, न तो मौके की केर्य्वाही या तहसील या रा नि न्यायालय में सुनवाई हेतु कोई नोटिस दिया गया और न ही उनका मौके पर रहना अभिलेख अनुसार प्रमाणित है. यदि आवेदकों का बेजा कब्जा मौके की कर्यवाही में मिला था और उनको, विशेषकर बाबूलाल को जिसका बेजा कब्जा अलग से पाया गया है, मौके के कार्यवाही का नोटिस नहीं मिला था और वे मौके की कार्यवाही के समय उपस्थित नहीं रह पाए थे, तो सीमांकन स्वीकृत करने के पूर्व रा नि को अपने न्यायालय से उन्हें नोटिस तामील कराकर प्राकृतिक न्याय और विधि के सिद्धांतों के अनुसार पक्ष समर्थन का अवसर देना चाहिए था. स्पष्टतः यह नहीं हुआ.

[४] अतः, मैं यह निगरानी स्वीकार करता हूँ. और सम्बन्धित रा नि को यह निर्देश देता हूँ कि वे आवेदकों को अपने न्यायालय से नोटिस भेजकर सुनवाई का उचित अवसर दें, और उसके बाद पुनः सीमांकन स्वीकृति के सम्बन्ध में आदेश उनके पक्ष के बिन्दुओं का निराकरण करते हुए पारित करें. यह समस्त कार्यवाही रा नि उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के

अधिकतम एक माह में अनिवार्यतः पूर्ण करें. तब तक के लिए आक्षेपित आदेश प्रभावहीन रहेगा.

साथ ही मैं समस्त आवेदकों को भी यह निर्देश देता हूँ की वे, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम एक सप्ताह के भीतर या उन्हें रा नि का नोटिस प्राप्त होने पर उसमे लिखी दिनांक को, जो भी पहले हो, रा नि के समक्ष अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हों और आगामी पेशियों पर भी नियमित रूप से उपस्थित रहें. यदि वे ऐसा नही करेंगे तो रा नि उन्हें समुचित अवसर देने के बाद, प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने हेतु मुक्त होंगे.

इन निर्देशों के साथ यह निगरानी स्वीकृत की जाती है.
आदेश पारित.
पक्षकार और राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर सोनोरी तहसील त्योंथर जिला रीवा सूचित हों.
अभिलेख वापस हो.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर